**संख्या- 93 /2018 / 934 /चार-2018 - 114 (वि0)/ 2017**

प्रेषक,

जगत राज
सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 27 जून, 2018

विषय:- उ0प्र0 सचिवालय की भॉति सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेड वेतन रू0 1900/- दिये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 811/सं0नि0-1(19)/80, दिनांक 27 जून, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उ0प्र0 सचिवालय की भॉति सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेड वेतन रू0 1900/- दिये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में वेतनमान रू0 2550-3200 (साद्दश्य उच्चीकृत ग्रेड वेतन रू0 1800) में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से ज्येष्ठता के आधार पर वेतनमान रू0 2610-3540(साद्दश्य उच्चीकृत ग्रेड वेतन रू0 1800) में जमादार एवं दफ्तरी पदनाम से उपलब्ध ऐसे पद जिन पर चतुर्थ श्रेणी के निम्नतम पद से ही कतिपय शर्तो के अधीन पदोन्नति की व्यवस्था रही है उन पर वर्तमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 1800 /- के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 1900/- विभागीय शासनादेश निर्गत करने के दिनांक से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- वे0आ0-2-353 / दस- 2018 दिनांक 05 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जगत राज)
सचिव

संख्या- 93 /2018/ 934 /चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/